न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार झिंगोनिया)
प्रकरण/प्रार्थना पत्र/एल.आर. 136/मु0नं0 61/2023
जी0सी0एम0एस0 नम्बर 2023/108

1. हाबू दत्तक पुत्र सुखदेव जाति नायक निवासी मथानियां तहसील भिनाय जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः-23.04.2025

उपस्थितः- श्री मोहम्मद युसुफ अधिवक्ता प्रार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

प्रार्थीगणों ने इस प्रार्थना-पत्र साराक्षतः निवेदन किया है कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मथानियां पटवार हल्का सिंगावल, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071-2074 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 216, 219 में दर्ज खसरा नम्बरान प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी आराजीयात है। जिसमें वर्तमान जमाबन्दी में सहवनवश/त्रुटि से प्रार्थी का नाम हाबूड़ा अकिंत हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम हाबू है। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के त्रुटिपूर्ण नाम हाबूड़ा के स्थान पर सही व सम्मान सूचक नाम हाबू दर्ज कराकर अभिलेख सही करवाये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण दर्ज किया जाकर, तहसीलदार भिनाय को जवाब/रिपोर्ट पेश करने बाबत् जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार भिनाय द्वारा पत्रावली में जवाब प्रार्थना-पत्र मय राजस्व रिकॉर्ड प्रस्तुत कर वांछित दुरूस्ती उचित होना स्वीकार किया, जिसकी एक प्रति वकील प्रार्थी को दिलवायी जाकर शामिल मिशल किया गया। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। प्रकरण के सन्दर्भ में प्रार्थी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। दौराने बहस वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि ग्राम मथानियां के खाता संख्या 216 व 219 की वर्तमान जमाबन्दी में सहवनवश/त्रुटि से प्रार्थी का नाम हाबूड़ा अकिंत हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम हाबू है। प्रार्थी के अन्य खाता संख्या 217 में प्रार्थी का सही व सम्मानसूचक नाम दर्ज है। अतः प्रश्नगत राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के त्रुटिपूर्ण नाम हाबूड़ा के स्थान पर सही व सम्मान सूचक नाम हाबू दर्ज कराकर अभिलेख को दुरूस्त किया जाना न्यायसंगत तथा उचित है। अपनी बहस के समर्थन में प्रार्थी द्वारा आधार कार्ड, ग्राम मथानियां का अन्य खाता संख्या 217 जिसमें प्रार्थी का सही नाम हाबू है, संलग्न पत्रावली की गई है। पैरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना-पत्र अनुसार कथन कर राजस्थान सरकार के राजस्व(ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 4(1)राज-6/2002/19 दिनांक 18.06.2007 में दिये गये निर्देशानुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य बताया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner

मेरे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, जवाब तहसीलदार भिनाय, संबंधित पटवारी की रिपोर्ट, प्रार्थी के आधार कार्ड, ग्राम मथानियां का अन्य खाता संख्या 217, राजस्थान सरकार के राजस्व(ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र कमांक 4(1)राज–6/2002/19 दिनांक 18.06.2007 आदि का गहनता से अध्ययन तथा बहस उभयपक्षकार का मनन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अनुतोष योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिये जाते है कि मौजा ग्राम मथानिया पटवार हल्का सिंगावल, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सिंगावल तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071–2074 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के **खाता संख्या 216 में दर्ज खसरा नम्बर** में सहखातेदार के रूप में दर्ज खातेदार **हाबूड़ा दत्तक पुत्र सुखदेव** के स्थान पर सम्मान–सूचक **हाबू दत्तक पुत्र सुखदेव तथा खाता संख्या 219 में दर्ज खसरा नम्बर** में सहखातेदार के रूप में दर्ज खातेदार **हाबूड़ा पुत्र सुखदेव** के स्थान पर सम्मान–सूचक **हाबू पुत्र सुखदेव** दुरूस्त किया जावे। **शेष इन्द्राज बदस्तुर रहें।** तहसीलदार भिनाय द्वारा राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (अजमेर) सत्यमेव जयते

CamScanner